Statement

No. of Homoeopaths registered with Homoeopathic Boards/Councils

Name of States	Registered Quali-fied	Nn ex-perience basis	Total
1	2	3	4
Andhra Pradesh As on 31-1-77	339	803	1142
Assam As on 1-1-77	46	1805	1851
Bihar As on 1-1-77	2745	13242	15987
Chandigarh As on 25-1-77	22	224	246
Delhi Upto 4-4-77	980	276	1256
Gujarat Upto 1-2-77	164	225	389
Haryana Upto 4-4-77	9	1053	1062
Karnataka	218	1220	1438
Kerala Upto 10-2-77	1393	1489	2882
Madhya Pradesh As on 1-6-76	2592	4647	7239
Maharashtra As on 1-1-77	3772	2043	5815
Orissa As on 1-6-76	204	1355	1559
Punjab Upto 1-1-77	60	2823	2883
Rajasthan up to 1-1-77	70	2441	2511
Tamil Nadu Upto 1-1-77	26	11574	11600
Uttar Pradesh As on 1-6-76	1799	13251	15050
West Bengal As on 1-6-76	3730	11637	15367

राज्यों में कुष्ठ-रोगी

5258. **श्री श्याम सुन्दर सोमानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों से कुष्ठ रोगियों की संख्या की जानकारी ली है;

(ख) यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या क्या है और किस राज्य में गत तीन वर्षों से इनकी संख्या बढ़ रही है; और

(ग) इस भयावह रोग के निवारणार्थ सरकार क्या उपाय कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) (क) और (ख) जी हां, अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

चूंकि कुष्ठ रोग की दर का पता लगाने के लिए अभी तक पर्याप्त संख्या में अध्ययन नहीं किए गए हैं, अतः यह निश्चित रूप से कहना कठिन है कि गत तीन वर्षों में किसी राज्य में यह रोग बढ़ा है या कम हुआ है। तथापि, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई अच्छी व्यवस्था के कारण कुष्ठ के और रोगियों का पता लगाया जा रहा है और उनका उपचार किया जा रहा है।

(ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम को एक केन्द्र पोषित योजना के रूप में मंजूर किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 364 कुष्ठ नियंत्रण एकक, 4480 सर्वेक्षण, शिक्षा और उपचार केन्द्र, 285 नगरीय कुष्ठ केन्द्र, 56 पुनर्रचना शल्य चिकित्सा एकक तथा 124 अस्थायी वार्ड खोले गए हैं जिनमें से प्रत्येक में वास्तविक रोगियों और कुष्ठ के जटिल रोगियों के अन्तरंग उपचार के लिए 20 पलंग हैं। इस कार्यक्रम के लिए चिकित्सा और परा-चिकित्सा कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए 37 कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं। पिछले वर्ष से इस कार्यक्रम को लक्ष्य प्रधान कार्यक्रम बना दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम

(आंकड़े लाखों में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	31-3-71 को कुष्ठ के अनुमानित रोगी	31-3-1977 तक पता लगाए गए कुष्ठ रोगी	31-3-1977 तक उपचार के लिए लाए गये कुष्ठ रोगी
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	6.28	3.000	2.535
2. असम	0.12	0.045	0.043
3. बिहार	3.39	1.236	1.226
4. गुजरात	0 25	0.301	0.266
5. हरियाणा	0.01	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	0.15	0.060	0.058
7. जम्मू और कश्मीर	0.05	0.044	0.044
8. कर्नाटक	1.74	0.863	0.843
9. केरल	0.75	0.608	0.487
10. मध्य प्रदेश	0.32	0.689	0.170
11. महाराष्ट्र	2.80	2.606	1.880
12. मनीपुर	0.06	0.051	0.030
13. मेघालय	0.05	0.017	0.011
14. नागालैण्ड	0.05	0.055	0.015
15. उड़ीसा	2.37	0.906	0.906
16. पंजाब	0.02	0.006	0.006
17. राजस्थान	0.10	0.031	0.015
18. सिक्कम	0.016	0.015	—
19. तमिल नाडू	7.83	5.662	4.550
20. त्रिपुरा	0.10	0.020	0.019
21. उत्तर प्रदेश	1.68	1.600	1.494
22. पश्चिम बंगाल	3.80	2.474	1.002

1	2	3	4
23. अण्डेमान और निकोबार द्वीप	0.01	0.002	0.002
24. अरुणाचल प्रदेश . .	0.01	0.008	0.008
25. चण्डीगढ़ . .	—	—	—
26. दादरा और नगर हवेली .	0.001	0.0004	0.004
27. देहली . . .	0.01	0.004	0.004
28. गोवा, दमन और दीव .	0.05	0.014	0.014
29. लक्ष्यद्वीप . .	0.01	0.005	0.005
30. मिजोरम . .	0.01	0.002	0.002
31. पांडिचेरी . .	0.19	0.123	0.115
भारत . .	32.237	20.3924	15.7504

चासनाला खान दुर्घटना में मरे मजदूरों के परिवारों को अदा किया गया मुआवजा

5259. **श्री हरिकेश बहादुर :**
श्री पी० एस० रामलिंगम :

क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चासनाला खान दुर्घटना में मरे मजदूरों के परिवारों को मुआवजा अदा किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने परिवारों को मुआवजा अदा किया गया है और कुल कितनी धनराशि दी गई है ?

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 500 रुपये प्रतिमाह तक वेतन प्राप्त करने वाले 93 श्रमिकों के आश्रितों को, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन 1976 में इसमें किये गये संशोधन से पहले मुआवजे की दरों के अनुसार उनकी देय राशि का भुगतान कर दिया गया है। 500 रुपये से 1000 रुपये प्रतिमास पाने वाले 270 मृतक श्रमिक पहले कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन नहीं आते थे। फिर भी, इन श्रमिकों के आश्रितों को प्रति श्रमिक 10,000 रुपये की दर से अनुग्रह पूर्वक अदायगी भी की जा चुकी है।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन मजूरी सीमा को 500.00 रुपये से 1000.00 रुपये तक कर्मकार प्रतिकर संशोधन अधिनियम द्वारा पूर्व व्यापी तारीख 1-10-1975 से बढ़ा दिया गया है। अधिनियम के अधीन मुआवजे की दर को भी उसी तारीख से बढ़ा दिया गया है। फलस्वरूप, 500 रुपये प्रतिमास तक पाने वाले श्रमिकों के आश्रित मुआवजे की पुरानी दरों और नई दरों के बीच अन्तर की बकाया राशि पाने के हकदार हो गए हैं। 501 रुपये से 1000 रुपये प्रतिमास मजूरी पाने वाले श्रमिकों के आश्रित अधिनियम के अधीन मुआवजे के भी पात्र हैं।